Seventeenth Loksabha

an>

Title: Need to provide adequate compensation to farmers whose lands have been acquired for fencing purpose in border areas of Jammu and Kashmir -laid.

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): मैं सरकार का ध्यान जम्मू कश्मीर के उन सीमावर्ती स्थानों की ओर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ की सीमा पर तारबंदी हुई है । तारबंदी के कारण, तारबंदी की दूसरी और जो खेती की जमीन थी, जिसे अधिग्रहण कर लिया गया है, उस जमीन पर खेती करने वाले किसान बेरोजगार हो गए हैं. उनका जमीन ही एकमात्र सहारा है जबसे उनकी जमीन तार के उस पार चली गयी है तबसे वह बड़ी मुसीबतों की जिन्दगी जी रहें है उनकी भुखमरी की नौबत आ गयी है| इस तारबंदी की व्यवस्था में उन गरीब किसानों का क्या दोष है. ना ही उन्हें कोई रोजगार मिला और ना ही उन्हें उस जमीन का मुआवज़ा अभी तक मिला है, जिससे कि वह अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें । अत: मैं सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि उन किसानों को जल्द से जल्द मुआवज़ा देने का कष्ट करें ।